राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
मुख्य भवन ब्लॉक–5 एवं 06
उपायुक्त गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
फोन नम्बर 0141–2706069 ईमेल rajssaquality@gmail.com

क्रमांक:-रा.स्कू.शि.प./जय/प्रशिक्षण/04352/2026-27/ 7253 दिनांक: 18/08/2026

कक्षा 6 से 10 में विज्ञान एवं गणित विषय का अध्यापन कराने वाले शिक्षकों का STEM शिक्षा आधारित प्रशिक्षण

दिशा-निर्देश 2026-27

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समग्र शिक्षा के अधिकारियों, संस्था प्रधान एवं शिक्षकों के निरंतर क्षमता संवर्द्धन की अभिशंषा की गई है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) शिक्षा पर भी अधिक ध्यान देने हेतु अभिशंषा की गई है। STEM शिक्षा भविष्य के लिए कुशल नागरिक तैयार करने और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने का एक प्रमुख माध्यम है। **वार्षिक कार्ययोजना 2026-27 में कक्षा 6 से 10 में विज्ञान एवं गणित विषय का अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के STEM शिक्षा आधारित क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदित है।** विभाग की अपेक्षा है कि राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर होने वाले प्रशिक्षणों के पश्चात कक्षा 6 से 10 में गणित एवं विज्ञान शिक्षण प्रक्रिया में उल्लेखनीय बदलाव हो और निम्नलिखित अवधारणा के अनुरूप प्रक्रियाएँ होती हुई दिखे। अतः प्रशिक्षणों की पूरी जानकारी से पूर्व यह अपेक्षित है की निम्नांकित अवधारणा का गहराई से अध्ययन कर लिया जाए।

STEM शिक्षा आधारित विज्ञान एवं गणित शिक्षण की परिकल्पना-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को केवल जानकारी प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को समझने और बेहतर बनाने की प्रक्रिया मानती है। STEM शिक्षा आधारित विज्ञान एवं गणित शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को केवल सूत्र, परिभाषाएँ और नियम याद करवाना नहीं है, बल्कि उनमें जिज्ञासा, तार्किक सोच, समस्या समाधान की क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मकता तथा नवाचार की भावना विकसित करना है।

हमारा विश्वास है कि विद्यार्थी जिज्ञासु होते हैं । वह अपने आसपास की दुनिया को समझना चाहते हैं , प्रश्न पूछना चाहते हैं और अपने अनुभवों के आधार पर सीखना चाहते हैं । विद्यालय का दायित्व इस स्वाभाविक जिज्ञासा को जीवित रखना और उसे सीखने की शक्ति में बदलना है। इसलिए विज्ञान एवं गणित का शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को सोचने, खोजने, प्रयोग करने, चर्चा करने, तर्क करने और स्वयं निष्कर्ष तक पहुँचने का अवसर दे। जब सीखना बच्चों के अनुभवों और वास्तविक जीवन से जुड़ता है, तब वह केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन भर उपयोगी बनता है।

हमारी कक्षा कैसी होगी ?

STEM शिक्षा आधारित विज्ञान एवं गणित शिक्षण अंतर्गत हम ऐसी कक्षा की कल्पना करते हैं जहाँ सीखने का केन्द्र शिक्षक नहीं, बल्कि विद्यार्थी होंगे। कक्षा में विद्यार्थी केवल सुनने वाले नहीं होंगे, बल्कि सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेंगे। वे प्रश्न पूछेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे, छोटे समूहों में मिलकर कार्य करेंगे, गतिविधियों, प्रयोगों और परियोजनाओं के माध्यम से अवधारणाओं को समझेंगे तथा अपने अनुभव एक-दूसरे के साथ साझा करेंगे।

कक्षा का वातावरण आकर्षक और सीखने के लिए प्रेरित करने वाला होगा। दीवारों पर विद्यार्थियों/बच्चों द्वारा बनाए गए चार्ट, मॉडल, गणितीय आकृतियाँ, विज्ञान गतिविधियों के परिणाम, स्थानीय उदाहरण तथा सीखने से जुड़ी सामग्री प्रदर्शित होगी। विज्ञान एवं गणित कॉर्नर केवल सजावट का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि उनका नियमित उपयोग किया जाएगा। बैठने की व्यवस्था भी ऐसी होगी कि विद्यार्थी एक-दूसरे से संवाद कर सकें, सहयोग कर सकें और समूह में सीख सकें।

हर पाठ की शुरुआत विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान, स्थानीय अनुभवों या किसी वास्तविक जीवन की समस्या से होगी। विद्यार्थी पहले सोचेंगे, फिर चर्चा करेंगे, उसके बाद गतिविधि या प्रयोग करेंगे और अंत में स्वयं निष्कर्ष तक पहुँचेंगे। कक्षा में केवल सही उत्तर देना महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि उत्तर तक पहुँचने की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी।

शिक्षक की भूमिका कैसी होगी?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शक होंगे। वे प्रत्येक पाठ की स्पष्ट योजना बनाएंगे और सीखने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कक्षा का संचालन करेंगे। पाठ की शुरुआत किसी रोचक प्रश्न, स्थानीय घटना, समस्या या दैनिक जीवन के उदाहरण से होगी ताकि विद्यार्थी विषय से सहज रूप से जुड़ सकें।

STEM शिक्षा आधारित विज्ञान एवं गणित शिक्षण अंतर्गत शिक्षक गतिविधि आधारित, प्रयोग आधारित, परियोजना आधारित और जिज्ञासा आधारित शिक्षण अपनाएंगे । वह Learning by Doing Kit, विज्ञान एवं गणित किट, स्थानीय सामग्री, पुस्तकालय, डिजिटल संसाधनों तथा ICT का प्रभावी उपयोग करेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों को उत्तर बताने के बजाय ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो उन्हें सोचने, तर्क करने और अपने उत्तर का कारण बताने के लिए प्रेरित करें।

विज्ञान की कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को अवलोकन करने, परिकल्पना (Hypothesis) बनाने, प्रयोग करने, प्रमाण खोजने और निष्कर्ष निकालने के अवसर देंगे गणित की कक्षा में वह विद्यार्थियों को पैटर्न खोजने, तर्क प्रस्तुत करने, नियम स्वयं बनाने, विभिन्न तरीकों से समाधान खोजने तथा अपने उत्तर का औचित्य बताने के लिए प्रेरित करेंगे।

शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने का समान अवसर देंगे। वह विद्यार्थियों की सीखने की गति, भाषा और पृष्ठभूमि का सम्मान करेंगे तथा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सहयोग और व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे।

कक्षा में ऐसा वातावरण बनाया जाएगा जहाँ विद्यार्थी बिना किसी भय के प्रश्न पूछ सकें, अपनी गलतियों से सीख सकें और आत्मविश्वास के साथ अपने विचार व्यक्त कर सकें।

विद्यार्थी कैसे सीखेंगे?

STEM शिक्षा आधारित विज्ञान एवं गणित शिक्षण अंतर्गत सीखना तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थी स्वयं उसमें सक्रिय भागीदारी करे। इसलिए विद्यार्थी देखकर, करके, चर्चा करके, प्रश्न पूछकर, प्रयोग करके और समस्याओं का समाधान खोजकर सीखेंगे। वे केवल पुस्तक तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करेंगे, आँकड़ों का विश्लेषण करेंगे, मापन करेंगे, तुलना करेंगे और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में सीखी हुई अवधारणाओं का उपयोग करेंगे।

विद्यार्थी अपने अनुभव साझा करेंगे, समूह में कार्य करेंगे, एक-दूसरे से सीखेंगे तथा नए विचार प्रस्तुत करेंगे। वे किसी उत्तर को केवल स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि वह उत्तर सही क्यों है। विज्ञान में वे प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे और गणित में तर्क एवं पैटर्न के आधार पर नियम विकसित करेंगे। जब विद्यार्थी स्वयं खोजकर किसी निष्कर्ष तक पहुँचते हैं , तब उसका सीखना अधिक गहरा, स्थायी और अर्थपूर्ण बन जाता है।

मूल्यांकन कैसा होगा?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मूल्यांकन को केवल परीक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि सीखने को बेहतर बनाने का साधन मानती है। इसलिए STEM शिक्षा आधारित विज्ञान एवं गणित शिक्षण अंतर्गत मूल्यांकन का उद्देश्य केवल यह देखना नहीं होगा कि विद्यार्थी कितना याद रख पाए , बल्कि यह समझना होगा कि वह क्या समझ पाए, अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं, समस्या का समाधान किस प्रकार खोजते हैं और अपने विचारों को कितनी स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं।

शिक्षक नियमित रूप से विद्यार्थियों की गतिविधियों, चर्चा, प्रयोगों, परियोजनाओं, समूह कार्य और प्रस्तुतियों का अवलोकन करेंगे। प्रत्येक पाठ के अंत में मुख्य सीख (Key Learning) का पुनरावलोकन किया जाएगा तथा विद्यार्थियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि दी जाएगी ताकि वे अपनी सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर बना सकें। आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक अपनी शिक्षण रणनीतियों में भी परिवर्तन करेंगे ताकि प्रत्येक विद्यार्थी सीख सके।

विद्यालय का वातावरण कैसा होगा?

विद्यालय ऐसा सीखने का समुदाय होगा जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी सुरक्षित, सम्मानित और प्रेरित महसूस करे। विद्यालय में विज्ञान एवं गणित को केवल विषय के रूप में नहीं, बल्कि जीवन को समझने के माध्यम के रूप में देखा जाएगा। विज्ञान एवं गणित कॉर्नर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, स्थानीय संसाधन, डिजिटल उपकरण और विद्यार्थियों के कार्यों का उपयोग नियमित शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा होगा।

विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए मॉडल, चार्ट, परियोजनाएँ और नवाचार प्रदर्शित किए जाएँगे। विज्ञान दिवस, गणित दिवस, विज्ञान,गणित गतिविधियाँ, विज्ञान मेले और स्थानीय समस्याओं पर आधारित परियोजनाएँ नियमित रूप से आयोजित की जाएँगी। शिक्षक आपस में सीखने की संस्कृति विकसित करेंगे तथा प्रधानाचार्य शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करते हुए कक्षाओं में सहयोगात्मक वातावरण सुनिश्चित करेंगे।

STEM शिक्षा आधारित विज्ञान एवं गणित शिक्षण अंतर्गत विद्यालय का वातावरण ऐसा होगा जहाँ जिज्ञासा का सम्मान हो, प्रश्नों को प्रोत्साहन मिले, संवाद को महत्व दिया जाए और प्रत्येक विद्यार्थी यह महसूस करे कि वह सीख सकता है, सोच सकता है और नए समाधान खोज सकता है।

हमारी प्राथमिकता और हमारी सफलता

हमारा प्रयास है कि STEM शिक्षा आधारित विज्ञान एवं गणित शिक्षण अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान एवं गणित का शिक्षण अनुभवात्मक, गतिविधि आधारित, जिज्ञासा आधारित और जीवन से जुड़ा हो। जब कक्षाओं में विद्यार्थी अधिक बोलेंगे, अधिक सोचेंगे, अधिक प्रश्न पूछेंगे, प्रयोग करेंगे, तर्क देंगे, अपने उत्तरों को प्रमाणित करेंगे और वास्तविक जीवन में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करेंगे, तब सीखना वास्तव में सार्थक होगा।

हमारी सफलता तब दिखाई देगी जब विज्ञान और गणित विद्यार्थियों के लिए कठिन विषय नहीं, बल्कि खोज और आनंद का माध्यम बन जाएँगे; शिक्षक ज्ञान के स्रोत नहीं, बल्कि सीखने के सहयात्री बनेंगे; और विद्यालय ऐसी जीवंत सीखने की जगह बनेंगे जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ कह सके— "मैं सोच सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ और मैं सीख सकता हूँ।"

1. प्रशिक्षण विवरण

क्र.सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	यूनिट कोस्ट	संभागी	आयोजन का स्तर	प्रशिक्षण दिवस	प्रस्तावित समयावधि	व्यय मानदण्ड	अनुमोदित मद (समग्र शिक्षा / स्टार्स)
1.	कक्षा 6 से 10 में विज्ञान एवं गणित विषय का अध्यापन कराने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण							
1.1	एसआरजी प्रशिक्षण प्रथम चरण	1200 रूपये प्रति संभागी प्रति दिवस	प्रत्येक जिलें से 4, कुल चयनित 20 जिलों में क्रियाशील राजकीय विद्यालयों से कुल 80	राज्य स्तर पर	3 दिवस आवासीय	17 से 19 अगस्त 2026 तक में प्रस्तावित	टेबल संख्या–1 के अनुसार	समग्र शिक्षा Teachers Class IX to XII (Government Schools) (C2391)
1.2	एसआरजी प्रशिक्षण द्वितीय चरण		प्रत्येक जिलें से 4, कुल चयनित 21 जिलों में क्रियाशील राजकीय विद्यालयों से कुल 84	राज्य स्तर पर	3 दिवस आवासीय	20 से 22 अगस्त 2026 तक में प्रस्तावित		
1.3	KRP प्रशिक्षण	800 रूपये प्रति संभागी प्रति दिवस	प्रत्येक ब्लॉक से 6, 41 जिलों में संचालित राजकीय विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या के आधार पर 2268 KRP जिले के लक्ष्यानुसार (परिशिष्ट–ब)	जिला स्तर	3 दिवस आवासीय	24 अगस्त से 11 सितम्बर, 2026 तक प्रस्तावित	टेबल संख्या–2 के अनुसार	
1.4	विज्ञान एवं गणित शिक्षक प्रशिक्षण (कक्षा 6 से 10)	100 रूपये प्रति संभागी प्रति दिवस	जिले के लक्ष्यानुसार (परिशिष्ट–ब)	ब्लॉक स्तर पर	3 दिवस गैर–आवासीय	14 सितम्बर से 9 अक्टूबर 2026 तक प्रस्तावित	टेबल संख्या–3 के अनुसार	

2. विज्ञान एवं गणित विषय आधारित STEM शिक्षा हेतु राज्य सन्दर्भ व्यक्तिओं के समूह की क्षमता संवर्धन योजना –

- राज्य स्तर पर एक राशक्त एवं प्रशिक्षित राज्य सन्दर्भ व्यक्तिओं का समूह (SRG) का निर्माण किया जाना है, जो केवल केआरपी प्रशिक्षण तक सीमित न रह कर सतत् शैक्षणिक सहयोग प्रदान कर सके। एसआरजी की क्षमता संवर्धन के माध्यम से विज्ञान एवं गणित विषयों में शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाया जाना है। एसआरजी राज्य के लिए एक स्थाई और सशक्त शैक्षणिक तंत्र के रूप में विकसित होंगे जिनके सहयोग से वर्तमान अकादमिक सत्र एवं आगामी सत्रो में भी निरन्तर विज्ञान एवं गणित विषयों में शिक्षकों की अवधारणा स्पष्टता एवं शिक्षण दक्षता में वृद्धि होगी।
- एसआरजी समूह को कार्यशालाओं, डेमो विजिट के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। जिससे कि वे राज्य के लिए एक रिसोर्स टीम के रूप में कार्य कर सके। चयनित एसआरजी सदस्यों द्वारा कार्यशालाओं, विषय वस्तुत निर्माण, पदस्थापित विद्यालय में शोध कार्य, ऑनलाइन सत्र, विद्यालय भ्रमण, फोन कॉल, आईसीटी इत्यादि माध्यम से शिक्षकों को अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- राज्य संदर्भ व्यक्तियों द्वारा जिले के शिक्षकों को प्रशिक्षण उपरान्त निरन्तर संबलन (फोन कॉल, विद्यालय भ्रमण) प्रदान करने हेतु जिले के डाइट कार्यालय द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जावें।

3. वित्तीय प्रावधान

टेबल–1

- 3 दिवसीय एस.आर.जी प्रशिक्षण (आवासीय प्रशिक्षण) हेतु व्यय मानक
- 1200 रुपये प्रति संभागी प्रति दिवस, 164 संभागी प्रति बैच के अनुसार, 1200 x 3 x 50 = 180000

क्र. स	गतिविधि	कार्यदिवस	भौतिक लक्ष्य	दर	राशि (रू. में)
1	बैठक व्यवस्था (प्रशिक्षण स्थल, बैठक, आवास व्यवस्था)	3	50	500	75000
2	बिजली, पंखे, कूलर, पेय–जल	3	1	1500	4500
3	चाय, अल्पाहार, भोजन	3	50	300	45000
4	स्टेशनरी संभागियों के लिए (पेन, नोटपैड)	1	50	50	2500
5	सन्दर्भ व्यक्ति मानदेय	3	2	800	4800
6	संभागियों एवं सन्दर्भव्यक्ति का यात्रा भत्ता एव किराया	1	50	800	40000
7	तैयारी बैठक मानदेय	1	3	800	2400
8	शिविर व्यवस्थापक मानदेय	3	1	800	2400
9	विविध (जनरेटर, फोटोकॉपी, साफ़–सफाई, लेपटॉप, प्रोजेक्टर)				3400
	कुल योग				180000

टेबल–2

- 3 दिवसीय केआरपी प्रशिक्षण (आवासीय प्रशिक्षण) हेतु व्यय मानक
- 800 रुपये प्रति संभागी प्रति दिवस, 50 संभागी प्रति बैच के अनुसार, 800x3x50= 120000

क्र.स.	गतिविधि	कार्यदिवस	भौतिक लक्ष्य	दर	राशि (रू. में)
1	बैठक व्यवस्था (प्रशिक्षण स्थल, बैठक, आवास व्यवस्था)	3	50	300	45000
2	बिजली, पंखे, कूलर, पेय–जल	3	1	800	2400
3	चाय, अल्पाहार, भोजन	3	50	220	33000
4	स्टेशनरी संभागियों के लिए (पेन, नोटपैड)	1	50	40	2000
5	सन्दर्भ व्यक्ति मानदेय	3	2	800	4800
6	संभागियों एवं सन्दर्भव्यक्ति का यात्रा भत्ता एवं किराया	1	50	500	25000
7	तैयारी बैठक मानदेय	1	3	500	1500
8	शिविर व्यवस्थापक मानदेय	3	1	500	1500
9	विविध (जनरेटर, फोटोकॉपी, साफ–सफाई, लेपटॉप, प्रोजेक्टर)				4800
	कुल योग				120000

टेबल–3

- 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण (गैर–आवासीय प्रशिक्षण) हेतु व्यय मानक
- 100 रुपये प्रति संभागी प्रति दिवस, 50 संभागी प्रति बैच के अनुसार 100x3x50=15000

क्र. स	गतिविधि	कार्यदिवस	भौतिक लक्ष्य	दर	राशि (रू. में)
1	बैठक व्यवस्था (प्रशिक्षण स्थल, बैठक, आवास व्यवस्था)	3	50	20	3000
2	बिजली, पंखे, कूलर, पेय–जल	3	1	200	600
3	चाय, अल्पाहार, भोजन	3	50	40	6000
4	स्टेशनरी संभागियों के लिए (पेन, नोटपैड)	1	50	20	1000
5	सन्दर्भ व्यक्ति मानदेय	3	2	400	2400
6	संभागियों एवं सन्दर्भव्यक्ति का यात्रा भत्ता एव किराया	1	50	0	0
7	तैयारी बैठक मानदेय	1	3	300	900
8	शिविर व्यवस्थापक मानदेय	3	1	300	900
9	विविध (जनरेटर, फोटोकॉपी, साफ–सफाई, लेपटॉप, प्रोजेक्टर)				200
	कुल योग				15000

नोट – संभागियों को यात्रा भत्ता एवं किराया स्वयं के कार्यालय से देय होगा।

- जिला स्तरीय मुख्य संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के द्वारा समस्त जिला कार्यालय समग्र शिक्षा को निर्धारित भौतिक लक्ष्य अनुसार राशि आहरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- जिले को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से अधिक समायोजन एवं प्रशिक्षण मानकों से अधिक व्यय नहीं किया जाए।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा ब्लॉक के भौतिक लक्ष्यानुसार राशि आहरण की सीमा ब्लॉक कार्यालयों को प्रदान की जाएगी।

- प्रशिक्षण व्यवस्थापक एवं शिविर प्रभारी प्रशिक्षण व्यवस्थाओं संबंधित व्यय का रिकार्ड संधारित कर व्यय वाउचर सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला/ब्लॉक कार्यालय को प्रशिक्षण समाप्ति के तुरन्त पश्चात प्रेषित करेंगे।
- संभागी संख्या 50 से कम होने पर अनुपातिक रूप से तदनुसार ही व्यय किया जाए। यह व्यय संकेतात्मक है।
- किसी मद में व्यय परिस्थितियों के अनुसार कम अथवा ज्यादा हो सकता है। समग्र राशि विवरणानुसार ही होगी।
- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाये, व्यय उसी मद में ही किया जाए।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को PRABANDH Portal (https://prabandh.education.gov.in) पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- उपरोक्त सारणियों के उपमदों में राशि आवंटन में आंशिक परिवर्तन (Re-appropriation) स्थानीय आवश्यकतानुसार जिला/ब्लॉक/राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा से किया जा सकता है, किन्तु कुल व्यय, दी गई बजट सीमा से अधिक न हो।
- प्रशिक्षण समाप्ति के 10 दिवस में ही प्रशिक्षण संबंधित समस्त व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा के SNA खाते से संबंधित को किया जाना सुनिश्चित करें।

4. जिला/ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण से पूर्व आवश्यक व्यवस्थाएँ:

- प्रशिक्षण हेतु पात्र विज्ञान एवं गणित शिक्षकों का चयन, नामांकन तथा प्रशिक्षण की सूचना समय पर सुनिश्चित की जाए।
- प्रशिक्षण स्थल का चयन जिला/ब्लॉक मुख्यालय पर जहाँ सभागार/बड़ा कक्ष व समस्त संसाधन की उपलब्धता हो, वहां आयोजित किए जाए।
- प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर प्रति बैच 50 की संख्या में संभागियों का निर्धारण किया जाए।
- प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर पर्याप्त बैठक व्यवस्था, विद्युत, पेयजल, कूलर,स्वच्छ शौचालय, प्रोजेक्टर एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।
- प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर संभागियों की संख्यानुसार प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व मॉड्यूल, प्रशिक्षण सामग्री, विज्ञान-गणित किट, TLM, स्टेशनरी एवं अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- **प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व SRG/KRP/विषय विशेषज्ञों की तैयारी बैठक (Preparatory Meeting) आयोजित कर प्रशिक्षण मॉड्यूल, सत्र योजना, प्रशिक्षण पद्धति, भूमिकाओं एवं अपेक्षित अधिगम परिणामों पर साझा समझ विकसित की जाए।**
- जिला स्तर पर प्रशिक्षणों हेतु समस्त व्यवस्थाओं के लिए सहायक परियोजना समन्वयक (प्रशिक्षण) समग्र शिक्षा एवं ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

5. राज्य संदर्भ समूह एस.आर.जी. चयन का आधार

- प्रत्येक जिले से संदर्भ व्यक्ति का चयन अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व डाइट के समन्वय से किया जाना है।

- ऐसे शिक्षक जिन्होने आरएससीईआरटी, उदयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन प्रशिक्षक कोर्स को पूर्ण किया है, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाए।
- मॉड्यूल लेखन में भाग लेने वाले एसआरजी को प्रशिक्षक देने हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाए।
- पदस्थापित विद्यालय के अतिरिक्त नजदीक के 2 विद्यालयों में स्वेच्छा से शैक्षणिक सहयोग देने के इच्छुक हो।
- विज्ञान/गणित विषय से संबंधित शोध कार्यो का अनुभव हो।
- प्रशिक्षण संबंधित नवाचारी गतिविधियों में रूचि रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान की जावें।
- किसी प्रकार की विभागीय जाँच लंबित नहीं हो।
- कम्प्यूटर संचालन (पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन) में समझ रखने वाले को प्राथमिकता दी जाए।
- एसआरजी सदस्य के रूप में ऐसे शिक्षकों का चयन किया जाए जिन्हें विज्ञान एवं गणित विषय की अच्छी समझ हो तथा गतिविधि आधारित, जिज्ञासा आधारित और दक्षता आधारित शिक्षण का व्यावहारिक अनुभव हो।
- एसआरजी शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रभावी संचालन करने, कक्षा प्रदर्शन (डेमो लेसन) देने तथा शिक्षकों को शैक्षणिक सहयोग, मार्गदर्शन एवं मेंटरिंग प्रदान करने में सक्षम हों।
- एसआरजी सदस्य को विज्ञान-गणित किट, टीएलएम (TLM), स्थानीय संसाधनों, परियोजना आधारित शिक्षण, आईसीटी (ICT) तथा अन्य डिजिटल संसाधनों के प्रभावी उपयोग का अनुभव हो।
- एसआरजी को दक्षता आधारित मूल्यांकन करने, कक्षा अवलोकन के आधार पर रचनात्मक प्रतिपुष्टि देने तथा शिक्षकों के शिक्षण में सुधार हेतु शैक्षणिक सहयोग प्रदान करने की क्षमता रखते हों।
- प्रत्येक एसआरजी सदस्य प्रभावी संवाद स्थापित करने, टीम के साथ समन्वय में कार्य करने तथा RSCERT, DIET, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर पर शैक्षणिक सहयोग सुनिश्चित करने में सक्षम हों।
- वे नई शिक्षा नीति, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण नवाचारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हों तथा निरंतर सीखने और स्वयं को अद्यतन रखने के लिए प्रतिबद्ध हों।
- उन्हें विद्यालय स्तर पर प्रभावी कक्षा शिक्षण का अनुभव हो तथा वे अपने कार्य एवं व्यवहार से अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणास्रोत बनने की क्षमता रखते हों।

6. मुख्य सन्दर्भ व्यक्ति (MT/KRP) चयन का आधार:

- प्रत्येक ब्लॉक स्तर से मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का चयन प्रशिक्षण विवरण की तालिका अनुसार किया जाए। नए एवं अनुभवी शिक्षकों को SRG के रूप में शामिल किया जाए।
- **आईआईटी गांधीनगर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता से मुख्य सन्दर्भ व्यक्ति के रूप में नामित किया जाए।**
- ऐसे शिक्षक जिन्होने आरएससीईआरटी, उदयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन प्रशिक्षक कोर्स को पूर्ण किया है, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाए।
- मॉड्यूल लेखन में भाग लेने वाले एवं एसआरजी प्रशिक्षण प्राप्त को प्रशिक्षण देने हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाए।
- प्रशिक्षण संबंधित नवाचारी गतिविधियों में रूचि रखने वाले व्यक्ति।
- किसी प्रकार की विभागीय जाँच लंबित नहीं हो।
- कम्प्यूटर में पावर पाइन्ट प्रजेन्टेशन संचालन की समझ रखने वाले दक्ष प्रशिक्षक।

- नवाचारी शैक्षिक गतिविधियों की समझ रखने वाले दक्ष प्रशिक्षक।
- सेवानिवृति में एक वर्ष से कम का समय ना हो।
- असाध्य रोग से पीड़ित न हो।
- पदस्थापित विद्यालय के अतिरिक्त नजदीक के 2 विद्यालयों में स्वेच्छा से शैक्षणिक सहयोग देने के इच्छुक हो।

7. संभागी का चयन:

- कक्षा 6 से 10 में विज्ञान एवं गणित विषय का अध्यापन कराने वाले कक्षा 6-10 वाले प्रत्येक राजकीय विद्यालय से 2 शिक्षक (एक विज्ञान व एक गणित विषय)।
- प्रशिक्षण में शिथिलन आधार:
  - गर्भवती शिक्षिका संभागियों को।
  - ऐसी महिला शिक्षिकाएं जिनके शिशु की आयु 06 माह तक की हो।
  - ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 01 वर्ष या इससे कम समय शेष हो।
  - ऐसे शिक्षक जो गंभीर रोग से पीड़ित हो, को चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के आधार छूट दी जाए।
  - उपर्युक्त मापदण्डों के आधार पर छूट दिये गये कार्मिक के स्थान पर अन्य कार्मिक को नामांकित किया जाए, जिससे आवंटित लक्ष्य प्रभावित ना हो। छूट दिये गये कार्मिक एवं उनके स्थान पर नामांकित संस्थाप्रधान का विवरण स्कूल शिक्षा परिषद/RSCERTको भिजवाया जाए।
  - जन लेखा समिति 2021-22 की सिफारिश अनुसार प्रशिक्षणों में प्रशिक्षणार्थियों की शत प्रतिशत भागीदारी सुनिष्चित की जानी है। अतः शिथिलन मापदण्ड के आधार पर छूट दिए गए कार्मिकों के स्थान पर अन्य शिक्षकों के प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि जिले को आवंटित भौतिक लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति हो सके।
  - प्रशिक्षण से शिथिलन का अधिकार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा को अधिकृत किया जाता है। समिति की अभिशंषा एवं उचित दस्तावेज संलग्न करने के पश्चात् ही कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखा जाए। इसकी समस्त जिम्मेदारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा की होगी।

8. प्रशिक्षण संचालन समितियां:

प्रशिक्षण के प्रभावी एवं सफल संचालन हेतु निम्न समितियों का गठन किया जाना है:

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम
जिला स्तरीय समिति :		
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा	अध्यक्ष एवं जिला नोडल प्रभारी
2	अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा	सदस्य सचिव
3	प्रधानाचार्य, डाइट	सदस्य
4	सहायक परियोजना समन्वयक (प्रशिक्षण), एडीपीसी कार्यालय, समग्र शिक्षा	सदस्य
5	कार्यक्रम अधिकारी (प्रशिक्षण), एडीपीसी कार्यालय, समग्र शिक्षा	सदस्य
6	लेखा प्रतिनिधि, एडीपीसी कार्यालय, समग्र शिक्षा	सदस्य

7	तकनीकी प्रभारी—एमआईएस इंचार्ज, एडीपीसी कार्यालय, समग्र शिक्षा	तकनीकी सहायक
ब्लॉक स्तरीय समिति :		
1	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व पदेन खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा	अध्यक्ष एवं ब्लॉक नोडल प्रभारी
2	अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी—प्रशिक्षण, समग्र शिक्षा	सदस्य सचिव
3	संदर्भ व्यक्ति (प्रशिक्षण), सीबीईओ कार्यालय, समग्र शिक्षा	सदस्य
4	लेखा प्रतिनिधि, सीबीईओ कार्यालय, समग्र शिक्षा	सदस्य
5	तकनीकी प्रभारी—एमआईएस इंचार्ज, सीबीईओ कार्यालय, समग्र शिक्षा	तकनीकी सहायक

9. समिति के दायित्व एवं भूमिकाएं:

- जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण स्थलों का चयन करना।
- प्रशिक्षण स्थल पर आवश्यक सहायक सामग्री जैसे - टीएलएम, मॉड्यूल्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- निर्धारित समय पर संभागियों की प्रातः एवं सायं की निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना कर उनके कार्य निर्धारित करना।
- प्रशिक्षण हेतु बनाए गये समूहों के अनुसार दक्ष प्रशिक्षकों के सक्षम स्तर से आदेश जारी कराना।
- दक्ष प्रशिक्षक, मेंटर का चयन कर प्रशिक्षण हेतु आदेशित कराना।
- प्रशिक्षण की प्रभावी मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग टूल के माध्यम से सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण प्रभारियों/व्यवस्थापक को नामित कर आदेश जारी कराना।
- प्रशिक्षण प्रभारियों/व्यवस्थापक से लगातार समन्वयन बनाये रखना।
- प्रशिक्षण पूर्व दिवस को तैयारी बैठक आयोजित कराना।
- प्रशिक्षण दिवसों में कोर-समूह की बैठक आयोजित कराना एवं संबंधित अधिकारियों को सहभागिता हेतु निर्देशित करना।

10. जिला/ ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों हेतु निर्देश:

- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व पदेन जिला परियोजना समन्वयक, जिला कार्यालय, समग्र शिक्षा द्वारा ब्लॉक कार्यालय को आवंटित लक्ष्यानुसार 50 संभागी प्रति समूह अनुसार संभागियों के आदेश जारी करना।
- अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा से बजट आहरण की स्वीकृति के पश्चात ब्लॉक स्तर पर गठित समिति द्वारा नियमानुसार राशि का उपयोग करना।
- प्रशिक्षण प्रभारी/व्यवस्थापक प्रशिक्षण का उपस्थिति रजिस्टर नियमित रूप से संधारण करें एवं व्यवस्थाओं संबंधी व्यय का रिकार्ड संधारित कर व्यय वाउचर सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रशिक्षण समाप्ति के तुरन्त पश्चात प्रेषित करेंगे।
- प्रशिक्षण स्थल का चयन मौसम, उपलब्ध संसाधन (पंखे, कूलर, पानी, जनरेटर आदि) को ध्यान में रखते हुए किया जाए।

- सीडीईओ द्वारा प्रशिक्षण के आदेश जारी किए जायेंगे तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का पूर्व अवलोकन करते हुए प्रशिक्षण करवाया जायेगा।
- जिला परियोजना कार्यालय एवं डाइट परस्पर समन्वयन से प्रशिक्षण का सफल संचालन करेंगे।
- जिला स्तर पर प्रशिक्षणों हेतु समस्त व्यवस्थाओं के लिए सहायक परियोजना समन्वयक (प्रशिक्षण) समग्र शिक्षा एवं ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सहायक सामग्री जैस-प्रोजेक्टर, टीएलएम, विज्ञान एवं गणित किट इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- जिला/ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों में संबंधित आरईआई पार्टनर का आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त करें।

11. मॉनिटरिंग

प्रशिक्षण के दौरान-

- प्रशिक्षण का नियमित अवलोकन किया जाए तथा सभी प्रतिभागियों की पूर्ण एवं सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
- प्रशिक्षण विकसित मॉड्यूल, समय-सारणी एवं निर्धारित अधिगम उद्देश्यों के अनुरूप संचालित हो।
- गतिविधि आधारित, जिज्ञासा आधारित एवं दक्षता आधारित शिक्षण पद्धतियों के साथ विज्ञान-गणित किट, Learning by Doing, TLM, स्थानीय संसाधनों एवं डिजिटल सामग्री के उपयोग का व्यवहारिक अभ्यास सुनिश्चित किया जाए।
- सत्रों के दौरान प्रतिभागियों के समूह कार्य, प्रस्तुतीकरण, अभ्यास एवं प्रदर्शन का अवलोकन कर आवश्यक शैक्षणिक मार्गदर्शन एवं रचनात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान की जाए।
- प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त समस्याओं, सुझावों एवं फीडबैक का संकलन कर उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण संचालन में सुधार किया जाए।

प्रशिक्षण उपरांत ब्लॉक, पंचायत एवं विद्यालयों को शैक्षणिक सहयोग हेतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (ADPC) के लिए निर्देश

- ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर विज्ञान एवं गणित शिक्षण की प्रगति का नियमित अवलोकन किया जाए तथा DIET, CBEO एवं SRG के साथ समन्वय स्थापित कर विद्यालयों को समयबद्ध शैक्षणिक सहयोग सुनिश्चित किया जाए।
- विद्यालय भ्रमण एवं कक्षा अवलोकन की नियमित समीक्षा कर न्यून प्रदर्शन वाले विद्यालयों एवं शिक्षकों की पहचान की जाए तथा उनके लिए विशेष शैक्षणिक सहयोग एवं अनुवर्ती कार्ययोजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
- प्रशिक्षण उपरांत विज्ञान-गणित किट, Learning by Doing Kit, STEM Corner, प्रयोगशाला, TLM एवं अन्य शैक्षणिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग की नियमित समीक्षा की जाए तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- ब्लॉक स्तर पर समीक्षा बैठकें, Professional Learning Community (PLC), विषयवार कार्यशालाएँ एवं अनुभव साझा करने के कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों एवं विद्यालय प्रमुखों के निरंतर क्षमता विकास को बढ़ावा दिया जाए।

- विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों, कक्षा अवलोकन एवं शैक्षणिक प्रगति का विश्लेषण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
- विज्ञान एवं गणित आधारित गतिविधियों, STEM नवाचार, विज्ञान मेले एवं अन्य शैक्षणिक पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विद्यालयों एवं ब्लॉक स्तर पर आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जाए।
- प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक सहयोग से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन, उपलब्धियों, चुनौतियों एवं श्रेष्ठ प्रथाओं का नियमित संकलन कर जिला एवं राज्य स्तर पर समयबद्ध रूप से साझा किया जाए।

प्रशिक्षण उपरांत विद्यालयों को शैक्षणिक सहयोग हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) के लिए निर्देश

- प्रत्येक पंचायत के विद्यालयों का नियमित शैक्षणिक भ्रमण एवं विज्ञान-गणित कक्षाओं का कक्षा अवलोकन किया जाए तथा शिक्षकों को समयबद्ध शैक्षणिक प्रतिपुष्टि एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाए।
- प्रशिक्षण में सीखी गई गतिविधि आधारित, जिज्ञासा आधारित एवं दक्षता आधारित शिक्षण पद्धतियों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विज्ञान-गणित किट, Learning by Doing Kit, विज्ञान-गणित कॉर्नर, प्रयोगशाला, TLM एवं स्थानीय संसाधनों के नियमित उपयोग को सुनिश्चित किया जाए।
- आवश्यकता अनुसार DIET, SRG एवं विषय विशेषज्ञों के सहयोग से विद्यालयों को शैक्षणिक मेंटरिंग उपलब्ध कराई जाए तथा विद्यालय प्रमुखों को शैक्षणिक नेतृत्व एवं शिक्षक सहयोग के लिए नियमित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए।
- ब्लॉक स्तर पर विज्ञान एवं गणित शिक्षकों की नियमित समीक्षा बैठकें एवं अनुभव साझा करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ तथा शिक्षकों की पुनः प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान कर क्षमता विकास सुनिश्चित किया जाए।
- विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों की नियमित समीक्षा कर न्यून प्रदर्शन वाले विद्यालयों एवं शिक्षकों के लिए सुधारात्मक कार्ययोजना लागू की जाए तथा विद्यालयों में विज्ञान-गणित गतिविधियों, परियोजना आधारित अधिगम एवं STEM संस्कृति को निरंतर प्रोत्साहित किया जाए।

प्रशिक्षण उपरांत पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO/UCEEO) द्वारा विद्यालयों को शैक्षणिक सहयोग हेतु निर्देश

- अपने अधीन प्रत्येक विद्यालय का नियमित शैक्षणिक भ्रमण एवं विज्ञान-गणित कक्षाओं का कक्षा अवलोकन कर शिक्षकों को तत्काल शैक्षणिक प्रतिपुष्टि एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षण में सीखी गई गतिविधि आधारित, जिज्ञासा आधारित एवं दक्षता आधारित शिक्षण पद्धतियों का कक्षा में प्रभावी क्रियान्वयन हो तथा विज्ञान-गणित किट, Learning by Doing Kit, विज्ञान-गणित कॉर्नर, प्रयोगशाला, TLM एवं स्थानीय संसाधनों का नियमित उपयोग किया जाए।
- संस्थाप्रधान एवं शिक्षकों के साथ मासिक शैक्षणिक समीक्षा बैठक आयोजित कर कक्षा अवलोकन, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर एवं विद्यालय की शैक्षणिक आवश्यकताओं की समीक्षा की जाए तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्ययोजना तैयार की जाए।
- आवश्यकता अनुसार प्रदर्शन पाठ (Demonstration Lesson), सह-शिक्षण (Co-teaching) एवं विद्यालय आधारित शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए तथा आवश्यक होने पर SRG, KRP, DIET एवं CBEO से शैक्षणिक सहयोग प्राप्त किया जाए।

- विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों का नियमित विश्लेषण कर न्यून प्रदर्शन वाले विद्यार्थियों एवं विद्यालयों के लिए सुधारात्मक शिक्षण, अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग एवं अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित गतिविधियों, STEM Corner, विज्ञान मेले एवं अन्य नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाए तथा शिक्षकों के बीच श्रेष्ठ प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाए।
- प्रत्येक विद्यालय की शैक्षणिक प्रगति, चुनौतियों एवं सहयोगात्मक कार्यवाही का संधारण कर नियमित रूप से CBEO को प्रतिवेदन एवं आवश्यक अनुशंसाएँ प्रेषित की जाएँ।

प्रशिक्षण उपरांत SRG एवं KRP के कार्य हेतु निर्देश

- अपने विद्यालयों के निकटतम 2 विद्यालयों में प्रतेक माह 2 बार प्रशिक्षित शिक्षकों को विद्यालय स्तर पर नियमित शैक्षणिक सहयोग (Mentoring) प्रदान करते हुए कक्षा अवलोकन एवं रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराई जाए।
- प्रशिक्षण में विकसित गतिविधि आधारित, जिज्ञासा आधारित एवं दक्षता आधारित शिक्षण पद्धतियों तथा विज्ञान-गणित किट/TLM/Learning by Doing Kit के प्रभावी उपयोग में शिक्षकों का सहयोग किया जाए।
- आवश्यकता अनुसार प्रदर्शन पाठ (Demonstration Lesson), सह-शिक्षण (Co-teaching) एवं विद्यालय आधारित शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाए।
- विद्यालय भ्रमण के दौरान शिक्षकों की शैक्षणिक आवश्यकताओं एवं चुनौतियों की पहचान कर CBEO एवं DIET को आवश्यक सुझाव एवं अनुशंसाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।
- ब्लॉक स्तर पर विषयवार शिक्षक बैठकों के माध्यम से नवाचारों एवं अनुभवों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाए तथा नियमित प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

12. उपस्थिति संधारण:

- प्रशिक्षण शिविर की दैनिक उपस्थिति प्रातः एवं सायं की सूचना ब्लॉक प्रशिक्षण कन्ट्रोलरूम से जिला स्तरीय कन्ट्रोलरूम को निर्धारित प्रपत्र-01 में उपलब्ध कराई जाएगी। जिला स्तर से समस्त प्रशिक्षण शिविरों की उपस्थिति समेकित करते हुए प्रपत्र-02 अनुसार परिषद की प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की ई-मेल आईडी: rajssa.training@gmail.com पर भिजवाई जानी है।
- शिक्षक प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का विवरण शिविर की समाप्ति के अगले दिन निम्न प्रपत्र-3 में आवश्यक रूप से जिला स्तर से समेकित कर भिजवाना सुनिश्चित करें। प्रपत्र-03 की पूर्ति प्रशिक्षण अवधि के मध्य ही की जाए।

दैनिक उपस्थिति प्रपत्र

जिला ....

प्रपत्र–01

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	संभागी का नाम	Employee ID	मो. नम्बर	लिंग		पदस्थापन स्थान	पीईईओ / यूसीईईओ का नाम	हस्ताक्षर	
					M	F			प्रातः	सायं

समेकित दैनिक उपस्थिति प्रपत्र

प्रपत्र–02

क्र.सं.	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	आमंत्रित संभागी	उपस्थिति संभागी		अनुपस्थित	अनुपस्थित का कारण
				प्रातः	सांय		

प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का विवरण प्रपत्र

प्रपत्र–03

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	संभागी का नाम	लिंग		Emp. ID	विद्यालय / कार्यालय का नाम	डाईस कोड	प्रशिक्षण पूर्ण दिनांक	ईमेल आईडी	मो. नम्बर
				M	F						

'नोट –प्रपत्र–03 के समस्त कॉलम की पूर्ति Excel Sheet (Soft Copy) में अनिवार्य रूप से करते हुए भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(डॉ. रश्मि शर्मा) 13/8/26.
राज्य परियोजना निदेशक
एवं आयुक्त

क्रमांकः-रा.स्कू.शि.प./जय/प्रशिक्षण/04352/2026-27/ 7253

दिनांकः 13/08/2026

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर।
3. निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम एवं द्वितीय समग्र शिक्षा, जयपुर।
6. जिला प्रभारी, समस्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. प्रोग्रामर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को भेजकर लेख है कि दिशा–निर्देश को समग्र शिक्षा एवं शाला दर्पण की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
8. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
11. प्रधानाचार्य, डाइट, समस्त जिले।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
13. PEEO/ UCEEO समस्त।
14. कार्यालय प्रति।